कार्यालय – वन प्रंमडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

झारखण्ड सरकार ☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

MOMENTUM JHARKHAND
The investment destination
GLOBAL INVESTORS' SUMMIT2017
16-17 February, Ranchi

पत्रांक................................/ दिनांक..................................../

सेवा में,

विद्युत कार्यपालक अभियंता,
बिजली आपूर्ति प्रमंडल,
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०
हजारीबाग।

विषयः– राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० द्वारा चौपारण ब्लॉक में 11 के०वी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 5.6322 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– सरकार के उपसचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक 5529 दिनांक 07.12.2016 एवं आपका पत्रांक 307 दिनांक 02.02.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० द्वारा चौपारण ब्लॉक में 11 के०वी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 5.6322 हे० वन भूमि के प्रस्ताव पर सरकार के उपसचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा 04 बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए प्रतिवेदन/अभिलेख/मंतव्य के साथ समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त के आलोक में आपके पत्रांक 307 दिनांक 02.02.2017 द्वारा पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित प्रतिवेदन में बिन्दुवार त्रुटियाँ पायी गई है, जो निम्नवत है :–

1. पृच्छा संख्या 01 के आलोक में समर्पित ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति में बहुत ही कम संख्या में ग्रामीणों के हस्ताक्षर अंकित है, जबकि नियमानुसार उक्त मौजा के वोटर लिस्ट के अनुसार 60 प्रतिशत ग्रामीणों के हस्ताक्षर ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही में होना अनिवार्य है। साथ ही ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति सक्षम पदाधिकारी यथा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सत्यापित करवाकर समर्पित नही किया गया है, जिससे कि समर्पित ग्राम सभा कार्यवाही की प्रति की सत्यता की जॉच नही हो पा रही है। उक्त के आलोक में संबंधित ग्राम का वोटर लिस्ट लगाते हुए वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में ग्राम सभा की कार्यवाही संबंधित अंचलाधिकारी से सत्यापित कराकर समर्पित करें।

2. पृच्छा संख्या 02 के आलोक में 0.308 हे0 जंगल झाडी भूमि का उपायुक्त हजारीबाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना था, जिसके आलोक में आपके द्वारा सूचित किया गया है कि उपायुक्त, हजारीबाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया है। आपको सूचित किया जाता है कि उपायुक्त, हजारीबाग के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव नही है। इसे शीघ्र समर्पित करें।

3. पृच्छा संख्या 04 के संबंध में आपको DGPS map समर्पित करना था, जबकि आपके द्वारा GPS Co-ordinates की सहायता से Polygon map तैयार कर समर्पित किया गया है, जो झारखण्ड सरकार द्वारा लगाये गये पृच्छा के अनुरूप नही है। अतः DGPS map समर्पित किया जाये।

अतः सरकार के उपसचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा की गई पृच्छाओं के आलोक में समर्पित प्रतिवेदन मूल रूप में सभी प्रतियों के साथ वापस करते हुए अनुरोध है कि पत्र में इंगित त्रुटियों का निराकरण कर पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की कृपा किया जाय, ताकि उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदन समर्पित किया जा सके।

विश्वास भाजन,

ह0 / –
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक :– दिनांक :–

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, DVC, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पृच्छाओं का निराकरण कर पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की कृपा किया जाय।

ह0 / –
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक :– 897 दिनांक :– 23/2/17

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग को सूचनार्थ समर्पित।

22/2/17
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल
22/2/17